संचिका सं0– मु0अ0–4(मु0)विविध कार्य–06–101 / 2023

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
।। संकल्प ।।

विषयः– ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के नियमित एवं व्यवस्थित पुनर्निर्माण /उन्नयन/नवीनीकरण हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत एक नये अवयव के रुप में "ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम" को लागू किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

राज्याधीन ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं से निर्मित एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण / Defect Liability अवधि से बाहर ग्रामीण पथों के रुप में सृजित परिसम्पतियों को क्षरण से बचाने के उद्देश्य से विभागीय संकल्प संख्या–4995 दिनांक 22.09.2023 एवं संशोधित संकल्प संख्या–1259 दिनांक 13.09.2024 अंतिम रुप से निर्गत किया गया, जिसके क्रियान्वयन के क्रम में पाया गया की इस कार्यक्रम से पंचवर्षीय अनुरक्षण/ Defect Liability अवधि से बाहर/बाहर होने वाले ग्रामीण पथों के सतत् रुप से बेहतर प्रबंधन नहीं हो पा रहा है। तदालोक में ग्रामीण पथों के रुप में सृजित परिसमप्तियों का दीर्घ कालीन कुशल प्रबंधन के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्न्यन योजना के तहत एक नया अवयव के रुप में **"ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम"** लागू किया गया है।

2. इस कार्यक्रम के तहत पंचवर्षीय अनुरक्षण / Defect Liability अवधि से बाहर एवं भविष्य में बाहर होने वाले सभी ग्रामीण पथों को आवश्यकतानुसार वर्गीकरण कर क्रियान्वयन किया जा सकेगा। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किये जाने हेतु संचालन प्रक्रिया (SOP) में यह प्रावधान किया जायेगा की पथों का दीर्घ कालीन अवधि अर्थात 07 वर्षो तक सतत् रुप से Riding Quality मानक के अनुरुप रखी जा सके। इस हेतु Traffic Survey के उपरान्त Traffic Count के अनुसार पथ परत का निरुपण किया जायेगा। तदनुसार पथों का वर्गीकरण कर पथ की स्थिति के अनुरुप भौतिक सत्यापनोपरान्त पथ का प्राक्कलन तैयार किया जा सकेगा। जिसके अन्तर्गत पथ के सम्पूर्ण सेवा अवधि अर्थात 07 वर्षो में पथ के कालीकृत भाग में दो बार कालीकरण कार्य किया जायेगा। इस अवयव के क्रियान्वयन के दौरान दूसरी बार पथ के पूरे कालीकृत भाग में किये जाने वाले कालीकरण कार्य हेतु Price Adjustment भुगतान किये जाने का प्रावधान किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

3. इस कार्यक्रम हेतु बजटीय उपबंध के आलोक में उपलब्ध Bank Of Sanction (BOS) के अंतर्गत वित्त' विभाग के नियमानुसार विभाग द्वारा चयनित पथों की स्वीकृति प्रदान कर क्रियान्वयन कराया जायेगा।
4. इस कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यो का प्राक्कलन आई0आर0सी0 की सुसंगत संहिताओं के आलोक में विभाग द्वारा तकनीकी जाँचोपरान्त बिहार लोक निर्माण संहिता के अनुसार संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त कर वित्त विभाग, बिहार सरकार से नियमानुसार सक्षम प्राधिकार से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर नियमानुसार कार्यों का क्रियान्वयन बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता एवं अन्य सुसंगत संहिताओं के अनुसार सम्पन्न कराया जायेगा।
5. इस कार्यक्रम अंतर्गत पथों की चयन प्रक्रिया, निरुपण, मानक निविदा अभिलेख, क्रियान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) इत्यादि के लिए विभाग अन्तर्गत गठित उच्चस्तरीय तकनीकी समिति द्वारा मापदण्ड एवं मार्गदर्शिका निर्गत किया जायेगा, जिसे आवश्यकतानुसार सुसंगत आई0आर0सी0 की संहिताओं अथवा प्रशासनिक निर्णयों के आलोक में संशोधित करने हेतु विभाग सक्षम होगा।
6. इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक डीपीआर परामर्शी, परियोजना प्रबंधन ईकाई, वित्तीय एवं गुणवत्ता विशेषज्ञ, पुल/पथ विशेषज्ञ, आधुनिक तकनीकी ईकाई, परिवहन इत्यादि की सेवाएँ, सरकारी/गैर सरकारी सेवा से सेवानिवृत कर्मियों तथा वाह्य स्रोत के माध्यम से सेवाए आवश्यकतानुसार ली जा सकेगी। प्रशासी विभाग द्वारा समय–समय पर इससे संबंधित विस्तृत निदेश निर्गत किया जायेगा।
7. इस कार्यक्रम के अंतर्गत अंतर प्रखण्ड/अंतर जिला के महत्वपूर्ण पथों को भी सम्मिलित किया जा सकेगा। जिन प्रखण्ड अंतर्गत चयनित पथ की लम्बाई अधिक होगी, उसके प्रशासनिक नियंत्रण वाले कार्य प्रमंडल द्वारा उक्त पथ के पुनर्निर्माण/उन्नयन/ नवीनीकरण एवं अन्य कार्य का क्रियान्वयन कराया जायेगा।
8. इस कार्यक्रम के तहत यथासंभव प्रखंडवार / अनुमंडलवार पथों का पैकेज तैयार कर निविदा के माध्यम से कार्य सम्पन्न कराया जायेगा।
9. इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु संवेदक को Rapid Response Vehicle रखना अनिवार्य होगा ताकि पथ में यदि कोई Defect परिलक्षित हो तो उसे Response Time के अन्तर्गत ठीक कराया जा सके। इस हेतु संवेदक को अतिरिक्त कोई भुगतान नही किया जा सकेगा। यदि निर्धारित Response Time के अन्तर्गत पथ में पाये गये त्रुटियों को संवेदक द्वारा ठीक नहीं

Scanned with OKEN Scanner

कराया जाता है तो उसके लिये संवेदक के विपत्र से नियमानुसार कटौती एवं आवश्यक दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकेगी।

10. पथों का Initial Rectification, आवश्कतानुसार Minor Improvement एवं Surface Renewal के उपरान्त एकरारनामा की सम्पूर्ण अवधि तक Rural Road हेतु IRC के दिशा निर्देश के अनुरुप वांछित IRI (International Roughness Index) संधारित रखना अनिवार्य होगा। IRI ग्रामीण पथों के लिये IRC में निर्धारित मानक के अनुरुप नहीं पाये जाने पर पथ में किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जा सकेगा।

11. आपातकालीन कार्य, प्राकृतिक आपदाओं एवं Price Adjustment हेतु कुल राशि का 15 प्रतिशत राशि का अतिरिक्त प्रावधान मात्र प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्राक्कलन में किया जायेगा। इस राशि का निविदा एवं मूल एकरारनामा में प्रावधान नही किया जायेगा। इस राशि को आपातकालीन कार्य, प्राकृतिक आपदा एवं Price Adjustment पर किये जाने वाले वास्तविक आवश्यकता के अनुसार व्यय किया जायेगा।

12. इस कार्यक्रम की कुल आकलित राशि का 2.25 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय एवं 01 प्रतिशत आकस्मिक व्यय की राशि का प्रावधान विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में आवश्यकतानुसार किया जायेगा। जिसका व्यय डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) तैयार करने, गुणवत्ता अनुश्रवकों के मानदेय, परियोजना प्रबंधन ईकाई, आधुनिक तकनीकी ईकाई, परिसंपत्ति प्रबंधन योजना, परामर्शी/विशेषज्ञ सेवा, मानव संसाधन की सेवा, निरीक्षण, परिवहन, यात्रा एवं अन्य विविध कार्य हेतु किया जा सकेगा।

13. इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दौरान पूरे सात वर्ष तक निरीक्षण के दौरान पायी गयी त्रुटियों के निराकरण हेतु संवेदक को एक निर्धारित समय सीमा (Response Time) दिया जायेगा। इस समय सीमा के अंदर संवेदक द्वारा पथ को वांछनीय Service Level पर लाना अनिवार्य होगा। सभी कार्यो हेतु Response Time अलग से निर्गत किया जा सकेगा।

14. इस कार्यक्रम के तहत चयनित पथ के आरेखन पर पड़ने वाले C.D संरचनाओं के निर्माण/पुनर्निर्माण/उन्नयन, पथ सुरक्षा कार्य एवं जल निकास (ड्रेनेज) का कार्य भी किया जा सकेगा। साथ ही सड़क सुरक्षा कार्य योजना का अनुपालन करते हुये आवश्यक सड़क संकेतो/रोड फर्निचर का प्रावधान किया जा सकेगा।

15. इस कार्यक्रम के तहत कार्यों का क्रियान्वयन गुणवत्तापूर्ण किया जाना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इसके लिए त्रिस्तरीय जाँच की व्यवस्था के साथ–साथ राज्य में अवस्थित अभियंत्रण महाविद्यालयों के तकनीकी विशेषज्ञ एवं राज्य में अवस्थित विभागीय क्षेत्रीय जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं का

Scanned with OKEN Scanner

उपयोग किया जा सकेगा। त्रिस्तरीय नियमित जाँच की व्यवस्था निम्नवत् करने का प्रस्ताव है:–

(a) प्रथम स्तर पर कार्य प्रमण्डल/कार्य अंचल/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता के द्वारा मानक विशिष्टियों के अनुरूप कार्यो का पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण एवं तदोपरान्त सतत् Riding Quality मानकों के अनुरुप रखने हेतु समय–समय पर निर्धारित जाँच की जायेगी।

(b) द्वितीय स्तर पर कार्य प्रमंडल स्तर पर सृजित 108 जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं द्वारा योजनाओं की जाँच करायी जायेगी। कार्य प्रमंडल स्तर पर सृजित जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला को और भी सुदृढ़ किया जायेगा।

(c) तृतीय स्तर पर कार्य अंचल स्तर पर सृजित कुल 22 जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं एवं मुख्य अभियंता स्तर पर सृजित कुल 06 जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं को और भी सुदृढ़ करते हुए योजनाओं की जाँच करायी जायेगी।

(d) मुख्यालय द्वारा गठित उड़नदस्ता जाँच दल एवं वरीय पदाधिकारियों से भी आवश्यकतानुसार जाँच करायी जा सकेगी।

16. इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन, संचालन एवं अनुश्रवण हेतु मुख्यालय स्तर पर उच्चस्तरीय Advisory Committee गठित की जा सकेगी जिसके लिए सेवा निवृत/सेवारत ग्रामीण कार्य विभाग एवं अन्य कार्य विभागों के अभियंताओं की सेवा ली जा सकेगी।
17. इस कार्यक्रम के सघन अनुश्रवण, क्रियान्वयन, गुणवत्ता, परिसम्पत्तियों का प्रबंधन यथासाध्य भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS), आधुनिक तकनीक इत्यादि सभी आकड़ों को पूर्णतः ऑनलाईन प्लेटफार्म पर किये जाने हेतु एक सुदृढ़ अनुश्रवणार्थ, प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) विकसित की जायेगी।
18. जनप्रतिनिधियों/जनसामान्य से प्राप्त पत्र, सुधार आवेदन, परिवाद, सुझाव एवं निराकरण की सूचना इस योजना के अंतर्गत ऑफलाईन/ऑनलाईन व्यवस्था के तहत की जायेगी।
19. इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर होने वाला व्यय योजना शीर्ष अन्तर्गत बजट/ अनुपूरक बजट/बिहार आकस्मिकता निधि/ वाह्य ऋण सम्पोषण/ भारत सरकार से प्राप्त प्रोत्साहन/विशेष सहायता इत्यादि से प्राप्त राशि से भारित किया जा सकेगा।
20. इस कार्यक्रम अन्तर्गत नियमित एवं व्यवस्थित सुधारोपरान्त पुनर्निर्माण/उन्नयन/ नवीनीकरण एवं सम्पूर्ण कुल 07 वर्षो तक किये जाने वाले सभी कार्यो का व्यय मुख्य शीर्ष 4515 उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष 103–ग्राम विकास उपशीर्ष 0121– विपत्र कोड–37–4515001030121

Scanned with OKEN Scanner

/4515007890107/ 4515007960110 अन्तर्गत प्राप्त होने वाली राशि से भारित किया जा सकेगा।

<u>नोटः–</u> उपरोक्त कंडिकाओं के आलोक में **''ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के नियमित एवं व्यवस्थित पुनर्निर्माण /उन्नयन/नवीनीकरण हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन' योजना** के तहत एक नये अवयव के रुप में **''ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम''** को लागू किये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 14.11.2024 की बैठक में मद संख्या–03 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

<u>आदेशः–</u> आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः– मु0अ0–4(मु0)विविध कार्य–06–101/2023-1718 /पटना, दिनांकः– 15-11-2024

प्रतिलिपि :– मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः– मु0अ0–4(मु0)विविध कार्य–06–101/2023-1718/पटना, दिनांकः–15-11-2024

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

Scanned with OKEN Scanner

ज्ञापांकः– मु0अ0–4(मु0)विविध कार्य–06–101/2023-1718/पटना, दिनांकः–15.11.2024

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, वित्त विभाग (ई– गजट प्रशाखा), पटना/ अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस संकल्प की 500 प्रतियाँ ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः– मु0अ0–4(मु0)विविध कार्य–06–101/2023-1718/पटना, दिनांक–15.11.2024

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव/सरकार के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं सचिव/विभागाध्यक्ष, बिहार, अभिलेखागार, बेली रोड/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः– मु0अ0–4(मु0)विविध कार्य–06–101/2023-1718/पटना, दिनांक–15.11.2024

प्रतिलिपिः– अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह– विशेष सचिव/ अभियंता प्रमुख/विशेष सचिव/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी– सह– सचिव, बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण, बिहार, पटना / सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग तथा मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः– मु0अ0–4(मु0)विविध कार्य–06–101/2023-1718/पटना, दिनांक–15.11.2024

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ उपस्थापित करने हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

Scanned with OKEN Scanner

ज्ञापांकः– मु0अ0–4(मु0)विविध कार्य–06–101 / 2023-1718 / पटना, दिनांक–15.11.2024

प्रतिलिपि :– आई0 टी मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/11/24

अपर मुख्य सचिव

Scanned with OKEN Scanner